न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।
व्यवहार न्यायालय बगहा
बंटवारा वाद संख्य– 104/2011
सी.आई.एस. संख्या– 58/2014
गौरव कुमार बनाम् मु0 मंजू देवी वगैरह

Date Of Order	Order with initials of P.O	Remarks
27.08.2025	वादी की ओर से साक्ष्य हेतु समयावेदन है। प्रतिवादी 03 के विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी के आवेदन दिनांक 05.08.2024 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. तथा प्रतिवादी संख्या 03 के प्रतिउत्तर दिनांक 13.09.2024 पर पूर्ण बहस सुना। वादी ने प्रार्थना किया है कि उनके द्वारा यह वाद वादपत्र के मद नं0 02 की भूमि में अपने 1/2 हिस्सा के लिए यह वाद लाया गया है। वादपत्र के मद नं0 01 (ए) में वर्णित भूमि वादी के दत्तक पिता मनोज कुमार जयसवाल के हक–हिस्से की जमीन है। मद नं0 01 (ए) में वाद भूमि मौजा मुड़ला खाता संख्या 02 खेसरा 444 रकवा 5 धुर चौहद्दी उत्तर – शहिद रजा, दक्षिण – नसीम अख्तर, पूरब – सड़क, पश्चिम – मीरा साह है। जिस पर वादी अपने दत्तक माता–पिता के साथ निवास करते आ रहे है। इस पर निर्मित रिहायसी घर काफी र्जीण–शिर्ण स्थिति में आ गया है, जिसका छप्पर खराब हो गया है, जिस कारण वर्षा का पानी घर में आ रहा है, जिससे वादी को काफी कठीनाई हो रही है। वादी का समान बर्बाद हो रहा है। अतः उक्त घर को मरम्मत करने की नवीकरण करने की अनुमति दिया जाय ताकि वादी अपने परिवार के साथ रह सकें। इस आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा दिनांक 13.09.2024 को देते हुए कहा गया है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है। वादी वाद को विलंबित करने के लिए इस प्रकार का आवेदन दे रहे है। खाता 02 खेसरा 444 रकबा 5 धुर जमीन दिनांक 06.08.2012 को निबंधित बिक्रय बिलेख के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 03 को बिक्री कर दिया है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 04.04.1995 के निबंधित बिक्रय बिलेख से प्राप्त है। इस भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में जमाबंदी कायम है तथा प्रतिवादी संख्या 03 का इस जमीन पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। वादी को इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। वह किसी अन्य जगह पर पक्का मकान में रहते है। इस प्रकार वादी का आवेदन दिनांक 05.08.2024 को खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी द्वारा यह बंटवारा वाद अपने दत्तक माता एवं अन्य के विरूद्ध वादपत्र के मद नं0 02 की भूमि में अपने 1/2 हिस्से के लिए लाया गया है। वाद दिनांक 12.03.2024 से वादी के साक्ष्य हेतु चल रहा है। वादी का कथन है कि वह जिस मकान में रह रहा है उसका मौजा मुड़ला खाता संख्या 02 खेसरा 444 रकवा 5 धुर चौहद्दी उत्तर – शहिद रजा, दक्षिण – नसीम अख्तर, पूरब –	

न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

व्यवहार न्यायालय बगहा

बंटवारा वाद संख्य– 104/2011

सी.आई.एस. संख्या– 58/2014

गौरव कुमार बनाम् मु0 मंजू देवी वगैरह

लगातार **27.08.2025**	सड़क, पश्चिम – मीरा साह है। जिसका छप्पर खराब हो गया है। जिस कारण वर्षा का पानी घर में आ जा रहा है और वादी का समान बर्बाद हो रहा है। जिसका विरोध प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने प्रतिउत्तर में करते हुए कहा है कि यह भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से उनकी अपनी खरीदगी भूमि है, जिसपर वह निवास कर रही है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 लक्ष्मी देवी को मौजा मुड़ला खाता संख्या 02 खेसरा 444 रकवा 5 की भूमि बिक्री कर दिया गया है। जिस कारण वादी द्वारा उन्हें वाद में पक्षकार भी बनाया गया है। दोनों पक्षों में इस बात का विरोधाभास है कि उस मकान में कौन रह रहा है। वादी का कथन है कि वह अपने दत्तक माता–पिता के साथ उक्त मकान में रहते चले आ रहे है। जबकि प्रतिवादी संख्या 03 का कथन है कि उक्त मकान उनके शांतिपूर्ण दखल–कब्जें में है। वादी अन्य किसी दूसरे जगह पक्के मकान में रहते है। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त मकान किसके दखल–कब्जे में है। ऐसी स्थिति में वादी के दिनांक 05.08.2024 के आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. में न्यायालय कोई बल नहीं पाती है। तद्नुसार वादी का आवेदन दिनांक 05.08.2024 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक **25.09.2025** वास्ते वादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। **लेखापित** **अवर न्यायाधीश, प्रथम**	